D-1

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सुलतानपुर

पत्रांक:- /29-1 दिनांक, सुलतानपुर 2017।

सेवा में,

सहायक प्रबन्धक, रिटेल सेल्स,
सुलतानपुर सेल्स एरिया, आई0ओ0सी0एल0,
इन्दिरा भवन, सिविल लाइन,
इलाहाबाद।

विषयः- जनपद सुलतानपुर में इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 सुलतानपुर-बलिया मार्ग (एस0एच0- 1) के किमी0 स्टोन सं0-157 ग्राम अयूबपुर परगना बरौंसा तहसील- जयसिंहपुर जि[illegible] सुलतानपुर के खसरा संख्या 278 एवं 280 में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग नि[illegible] हेतु 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 09 वृक्षों के पातन [illegible] अनुमति हेतु विशेष सचिव, वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ [illegible] सैद्धान्तिक स्वीकृति के समबन्ध में।

संदर्भः- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी-84/14-2-017 800(76)/2017 दिन[illegible] 28.07.2017 जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को समबोधित [illegible] वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, सरयू वृत्त, फैजाबाद एव प्रभागीय वनाधिकारी, [illegible] प्रभाग, सुलतानपुर तथा सहायक प्रबन्धक, रिटेल सेल्स, सुलतुानपर सेल्स ए[illegible] आई0ओ0सी0एल0, इन्दिरा भवन, इलाहाबाद को पृष्ठांकित है।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जो आपको पृष्ठांकित है। उक्त पत्र द्वारा विशेष सचिव [illegible]प्र0 शासन द्वारा कतिपय शर्तों के साथ प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के प्रवेश व निकास मार्ग हेतु संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः उक्त शर्तों को पूरा करने हेतु निम्न प्रकार का [illegible]ही करना सुनिश्चित करें।

1. शर्त संख्या 1- इस आशय की वचनबद्धता कि वनभूमि के एक्शीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेन के निर्मा[illegible] के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवह[illegible] एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाईन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत ले-आउट प्ला[illegible] के आधार पर होगा।
2. शर्त संख्या 2- सड़क के किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया [illegible]ाय, जिसमें फयूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो, (सम्बन्धित सहमति पत्र)।
3. शर्त संख्या 3-फयूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1 X 1.5) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किय[illegible]ाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा फयूल स्टे[illegible] के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा, (सम्बन्धित सहमति पत्र)।
4. शर्त संख्या 4- सम्पर्क मार्ग सेप्रेटर आइसलैण्ड एंव अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जाये[illegible] जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो) के अतिरिक्त होगा ,(सम्बन्धित सहमति पत्र)।
5. शर्त संख्या 5- प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वनभूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 1.00 हे0 से कम [illegible]गा, (सम्बन्धित सहमति पत्र)।
6. शर्त संख्या 6- इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) आधारित [illegible]गा, (सम्बन्धित सहमति पत्र)।
7. शर्त संख्या 7- माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अ[illegible]र्गत आई0ए0संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तह[illegible] दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V.) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य

A.S.O./4

देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण, निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में जमा किया जाना है।

क0सं0	विवरण	मद	प्रसतावित धनराशि (रुपये में)
1	2	3	4
1	शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.075028 हे0 का शुद्व वर्तमान मूल्य (6.26 लाख प्रति हे0 की दर से)	(N.P.V.) शुद्व वर्तमान मूल्य	46968.00
2	शर्त संख्या–27 के अनुपालन में 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखव	(C.A.) क्षतिपूरक वृक्षारोपण	246963.00
	योग– (दो लाख तिरानबे हजार नौ सौ इक्तीस मात्र)		293931.00

8. शर्त संख्या 8– उपरोक्त आदेशों के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय ऑन लाईन ई– पोर्टल के माधत से जमा कर ई–चालान की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराये।
9. शर्त संख्या 9– वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा (सम्बन्धित सहमति पत्र)
10. शर्त संख्या 11– प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस–पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना (वन्य जीव) के संरक्षण (सम्बन्धी सहमति पत्र)
11. शर्त संख्या 12– प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने (सम्बन्धित सहमति पत्र)।
12. शर्त संख्या 13– प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उससे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित [illegible]कर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा, (सम्बन्धित सहमति पत्र)।
13. शर्त संख्या 14– उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी, (सम्बन्धित सहमति पत्र)।
14. शर्त संख्या 15– भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–आई–11013/41/2006–ए–एच 9 दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्यजीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ से अनुमोदन अनग–अलग प्राप्त कर लिया गया है (सम्बन्धित प्रमाण पत्र)।
15. शर्त संख्या 16– उक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एंव वन्य मंत्रालय लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक हो, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया जायेगा (सम्बन्धित प्रमाण पत्र)।
16. शर्त संख्या 18– इस आशय की वचनबद्धता कि यदि इस अवधि में एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

17. शर्त संख्या 19– इस आशय की वचनबद्धता कि प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव विहार/प्रोजेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा0 उच्च न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
18. शर्त संख्या 22– इस आशय की वचनबद्धता कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
19. शर्त संख्या 23– इस आशय की वचनबद्धता कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
20. शर्त संख्या 24– इस आशय की वचनबद्धता भरत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 11.07.2014 व 21.08.2017 में उलिलखित समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
21. शर्त संख्या 25– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा फाइल में दर्शाया गया।
22. शर्त संख्या 26– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्दीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या–एफ0एन0 संख्या–11–268/2014 एफसी, दिनांक 11.07.2014 में नये दिशा निर्देशों के अनुसार परियोजना का ले–आउट प्लान प्रस्तुत करें।
23. शर्त संख्या 27– 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखव सम्बन्धित धनराशि प्रस्तुत करें।
24. शर्त संख्या 28– वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति /प्रारम्भिक कृषक समुदाय का हित प्रभावित नहीं हो रहा है से सम्बन्धित जिलाधिकारी का प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत करें।
25. शर्त संख्या 29– प्रयोक्ता एजेन्सी उपरोक्तानुसार शर्तों का अनुपालन उपलब्ध कराने सम्बन्धित सहमति।

भवदीय,

(के0सी0बाजपेयी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर।

पत्रांकः– / उक्तदिनांकित ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को मयसंलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– वन संरक्षक, सरयू वृत्त, फैजाबाद।

(के0सी0बाजपेयी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर।